न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

निगरानी संख्या 27/14

तारीख रजू– 27/11/2014

...कर लाल पुत्र काना जाति माली निवासी छोटा बाजार चौथ का बरवाडा। -----निगरानीगुजार

बनाम

...– तुलसीराम पुत्र काना जाति माली पेशा सरकारी नोकरी(अध्यापक) निवासी छोटा बाजार चौथ का बरवाडा।

...– ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा।

-----विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक– 14/09/15

निगरानीगुजार ने यह निगरानी राजस्थान पंचायत अधिनियम,1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम ...चायत चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 19/03/85 के विरूद्व पेश की है जिसमे ग्राम पंचायत चौथ ... बरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को 16.5 X 46 वर्गफुट यानी 759 वर्गफुट पर नजराना 90 पेसे से लिया ...कर खाम से पुख्ता निर्माण की इजाजत दी गई है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। ...पक्षी संख्या 1 व 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर ...स उभय पक्ष सुनी गई।

निगरानीगुजार के अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि काना के दो लडके शंकरलाल व तुलसीराम थे। ...क्षी तुलसीराम पढा लिखा था। काना की मृत्यु के समय शंकरलाल नाबालिग था। निगरानीगजार कृषि ...नि सभालता था तथा तुलसीराम नौकरी करता था। तुलसीराम ने पंचायत मे पटटा बनाने के लिए ...र्थनापत्र पेश किया उस समय निगरानीगुजार की उम्र 10 वर्ष के लगभग थी। वह नाबालिग था जबकि ...नो के स्वामित्व के भू–खण्ड का पटटा पंचायत ने विपक्षी को बिना किसी तरह की जॉच कराये जारी कर ...या जबकि विपक्षी ने अपने आवेदन मे भू–खण्ड को पुश्तेनी होना बताया था क्योकि निगरानीगुजार ...बालिग था इसलिये पंचायत के समक्ष आपत्ति पेश नही कर सका। उक्त पटटा पंचायत राज ...धिनियम,1953 की धारा 267 के तहत जारी किया है। वर्तमान पंचायत अधिनियम,1994 की धारा 97 के ...त रिवीजन पेश की गई है। अतः निगरानीगुजार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत का ...र्णय/जारी पटटा निरस्त फरमाया जावे।

निगरानीगुजार के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए वकील विपक्षी ने बहस मे तर्क ...या कि निगरानी गलत तथ्यो के आधार पर पेश की है। काना के दो भाई घासी व काना थे। काना के ... लडके शंकरलाल व तुलसीराम हुए लेकिन घासीलाल ने शंकरलाल को गोद ले लिया था जबकि काना ... सम्पत्ति तुलसीराम के हिस्से मे आयी है। निगरानी मे 10/10/14 को निर्णय की जानकारी होना ...या है जबकि उसके भी 5 माह बाद निगरानी पेश की है। निगरानीगुजार 30 वर्ष पुराने पटटे को निरस्त ...ना चाहता है उन्होने बताया कि उक्त पटटा निरस्त नही किया जा सकता सिविल न्यायालय ही पटटे ... निरस्त कर सकता है व उन्होने WLC(UC)1999 P-264 की नजीर पेश की है। विद्वान वकील ...क्षी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि निगरानीगुजार ने तुलसीराम का दिनांक 11/07/2001 का ...यपत्र पेश किया है जिसमे तुलसीराम ने अपना 1/2 हिस्सा मकान मे होने का कथन किया है। यह ...खावट सही मानली जावे तो भी यह जाहिर है कि निगरानीगुजार को इस बात की जानकारी थी कि ...तसीराम ने पटटा बना लिया है उसे उसी समय निगरानी/अपील करनी चाहिये थी इतने वर्षो बाद ...रानी पेश करने का अधिकार नही है। अतः निगरानीगुजार की निगरानी खरिज फरमाई जाकर ग्राम ...यत का निर्णय/जारी पटटा यथावत रखा जावे।

...रिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

...) ....

...कता स्वीकार (3) ....

निगरानी संख्या 27/14 शंकरलाल बनाम तुलसीराम

बहस के जवाब मे विद्वान निगरानीगुजार ने बताया कि कृषि भूमि के नामान्तरकरण घासी व काना दोनो के दोनो भाईयो व मॉ के नाम खुले है। सन् 2001 के शपथपत्र से भी यह जाहिर है कि तुलसीराम ने निगरानीगुजार का 1/2 हिस्सा होना माना है। ग्राम पंचायत ने मोके की जॉच निष्पक्ष नही करायी है अन्यथा दोनो भाईयो की सयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति थी। तुलसीराम ने अपने आवेदन मे भी पुश्तैनी सम्पत्ति होना माना है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

दोनो विद्वान अभिभाषको की बहस को गोर किया। निगरानी मे दिनांक 06/05/14 को जानकारी पंचायत के आदेश की होना अंकित किया है लेकिन निगरानी 10/10/14 को पेश की है। मियाद कानून की धारा 5 के तहत आवेदन मे कोई ठोस कारण नही दिया है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जो आदेश पारित किया है उसके बारे मे उठाई गई आपत्तिया व तथ्यो से विधिक प्रावधानो की अवहेलना करते हुए आदेश पारित किया है। अतः निगरानी मियाद अन्दर शुमार की जाती है। निगरानीजार व विपक्षी संख्या 1 दोनो सगे भाई है उनके पिता काना एवं घासी सगे भाई थे। दोनो कि विरासत निगरानीगुजार शंकरलाल व तुलसीराम तथा उनकी माता के नाम पर कृषि भूमि का नामान्तरकरण से तय हुई है इससे भी जाहिर है कि दोनो भाईयो का खाम मकान मे हिस्सा है। विपक्षी ने शंकरलाल के गोद जाने का जो तर्क दिया है लेकिन इस बारे मे कोई दस्तावेज पेश नही किया है। उक्त पटटा जारी हुआ उस समय निगरानीगुजार ने नाबालिग होने का तर्क किया है इस बारे मे विपक्षी का कोई खण्डन नही आया है। तुलसीराम की ओर से 2001 के स्टाम्प पर लिखावट से भी मकान मे 1/2 हिस्सा होने के बारे मे उसकी घोषणा से पंचायत के पटटे के बारे मे संदेह उपजते है।

अतः सम्पूर्ण तथ्यो को देखते हुए पंचायत द्वारा मोके पर जॉच सही ढग से कराये बिना गलत तथ्यो के आधार पर पटटा जारी किया है। कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नही ली है। अतः ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा का आदेश दिनांक 19/03/85 व निर्णय की पालना मे जारी पटटा दिनांक 19/03/85 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः दोनो पक्षो को सुनकर निर्णय करने हेतु ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर